# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## सोमवार, दिनांक 1 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 10, शक संवत् 1946)

**विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए**

### 1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

### 2. बधाई उल्लेख

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश में डॉ.मोहन यादव, मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में समस्त 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की विजय का उल्लेख करते हुए सबको बधाई दी गई.

### 3. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गए : -

(1) श्री हर्ष सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(2) श्री चन्द्रप्रभाष शेखर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(3) श्री विजय दुबे, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(4) श्री मकसूदनलाल चन्द्राकर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(5) श्री शान्तिलाल बिलवाल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(6) श्री बेनी परते, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(7) श्री जसवंतसिंह राठौर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(8) श्री मदनलाल त्यागी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(9) श्री विट्ठलराव महाले, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(10) डॉ. अजीज कुरैशी, उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल,
(11) डॉ. मनोहर जोशी, भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष,
(12) आचार्यश्री विद्यासागर महाराज, सुप्रसिद्ध जैन संत,
(13) जम्मू-कश्मीर के पुंछ एवं कठुआ जिलों एवं लेह लद्दाख में आतंकी हमलों एवं ड्यूटी पर शहीद जवान तथा
(14) डिण्डोरी जिले के शहपुरा के बड़झर घाट के पास वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्ति.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री, श्री विजय रेवनाथ चौरे, डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह, श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा और श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्यों द्वारा भी शोकोद्गार व्यक्त किये गए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 5 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् पूर्वाह्न 11.48 बजे दिवंगतों के सम्मान में विधान सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11:55 बजे पुन: समवेत हुई.

**अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.**

## 4. बधाई उल्लेख

श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश की हमारे थलसेना प्रमुख श्री उपेन्द्र द्विवेदी और नौसेना के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी जी की नियुक्ति से मध्यप्रदेश की 8 करोड़ जनता को गौरवान्वित होने का अवसर मिला है वे रीवा सतना के क्षेत्र से हैं इसलिए हम चाहते है कि इन्हें सबकी ओर से बधाई दी जाए, स्वागत किया जाए, यह मध्यप्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है.

## 5. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 1 प्रश्न (प्रश्न संख्या 1) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 68 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 104 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

## 6. बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वश्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), श्री गोविंद सिंह राजपूत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री, वन, गोपाल भार्गव, श्रीमती रीती पाठक एवं श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, सदस्यगण के जन्म दिन पर उन्हें अपनी और सदन की ओर से शुभकामनाएं दी गईं.

## 7. अध्यक्षीय घोषणा : आयकर संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि- पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय ने यह निर्णय किया कि सभी मंत्रीगण अपना आयकर सरकार के स्थान पर स्वयं भरेंगे.यह निर्णय सराहनीय है माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय की सराहना करता हुँ साथ ही, विधान सभा अध्यक्ष के नाते मेरे द्वारा भी अपना आयकर भरा जाएगा. विधान सभा पर उसका भार नहीं आएगा. तदुपरांत श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी उल्लेख किया कि वे एवं उपाध्यक्ष भी स्वयं ही आयकर भरेंगे, यह भी व्यवस्था इसमें शामिल है.

## 8. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री गौतम टेटवाल, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री ने (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार –
(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) एवं
(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पटल पर रखे.

## 9. अध्यक्षीय व्यवस्था
## विपक्ष के सदस्यों द्वारा नर्सेस काउंसिल संबंधी स्थगन प्रस्ताव की दी गई सूचना पर सदन में चर्चा की मांग की जाना.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि काँग्रेस पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने चिकित्सा शिक्षा विभाग संबंधी एक महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, अत: आप इस प्रस्ताव पर चर्चा कराने हेतु निर्देशित करें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी के माध्यम से यह पांइट आफ आर्डर उठाया गया कि, "मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी पुस्तिका के नियम 55-क में न्यायाधिकरण, आयोग आदि में विचाराधीन विषयों की चर्चा उठाने के प्रस्ताव के संबंध में बहुत स्पष्ट प्रावधान

दिया है कि - "साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो, जो किसी न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाली किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो." यह प्रकरण उच्च न्यायालय में भी चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने एक माननीय न्यायाधीश की एक समिति भी बना दी है और सी.बी.आई, भी इ्न्हीं तथ्यों पर जाँच कर रही है. अत: इस सदन में इस विषय पर चर्चा उठाना उचित नहीं होगा. श्री उमंग सिंघार ने मत व्यक्त किया कि हमारी सूचना का विषय न्यायालय से संबंधित नहीं है. हम नर्सेस काउंसिल के राजपत्र में प्रकाशित नियम पर चर्चा चाह रहे हैं.

(कुछ माननीय सदस्यों के विचारोपरान्त) अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि,"अभी हमारे पास चर्चा के अनेक अवसर रहेगे जिनमें हम स्थगन के अलावा भी अपनी बात को रख सकते हैं. आज ही स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं मिली हैं, जिन पर शासन से जानकारी भी मांगी गई है, इस मामले में हम लोग विचार करेंगे. सामान्य तौर पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में यह प्रक्रिया रही है कि बजट-सत्र हो या न्यायालय में कोई भी विचाराधीन विषय हो तो उन पर सदन में चर्चा नहीं होती है. किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए अनेक नियम हैं और हम लोग निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे कि किस नियम के अंतर्गत चर्चा हो.

उपर्युक्त स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पर व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 12.13 से 1.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाकर तदुपरांत 1.01 बजे समवेत हुई.

**{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}**

श्री उमंग सिंघार ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की पुनः मांग की. श्री कैलाश विजयवर्गीय ने मत व्यक्त किया कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं लेकिन तत्काल यदि कोई घटना होती है तो उसके ऊपर स्थगन आता है किन्तु यह तो बहुत पुराना प्रकरण है.

डॉ मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने शासन की ओर से सदन को आश्वस्त किया कि हमारी सरकार सभी विषयों में गंभीर है हम पीछे हटने वाले नहीं हैं अभी जैसा माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने कहा है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जो मांग कर रहे हैं इस पर बेहतर यह होगा कि हम इसको ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा हेतु अगली बार ग्राह्य कर लें तो हम सबको कोई परेशानी नहीं है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि, "माननीय नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं हम सब इस बात को भली-भांति जानते हैं कि यह सदन चर्चा के लिए है और चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इच्छुक हैं. सब विषय के प्रति चिंतित हैं निश्चित रूप से दोनों पक्षों को मैंने सुना है लेकिन सदन नियम, प्रक्रियाओं और परंपराओं से चलता है. पुरानी भी बहुत सारी परंपराएं हैं. स्थगन लेने के पीछे जो मूल भावना आवश्यक होती है वह है अविलंबनीय लोक महत्व की आपात स्थिति, इसलिए स्थगन की इस भावना को भी कमजोर नहीं करना चाहिए मैंने सदन के दोनों पक्षों की बात को सुना है और अलग से भी कक्ष में बात की है. मैं प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसको आप दोनों लोगों ने मुझ पर छोड़ने के लिए कहा है. मैं कल प्रश्नकाल के बाद उपयुक्त समय पर और उचित नियम के तहत् इस पर चर्चा कराऊंगा. सरकार ने भी कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं."

## 10. नियम 267-क के अधीन

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार –

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की इटारसी में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला जाना,

(2) सुश्री रामश्री राजपूत (रामसिया भारती), सदस्य की छतरपुर जिले की नगर पालिकाओं में खरीदी में आर्थिक अनियमितता किया जाना,

(3) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में जमीनों के रिकार्ड में हेरा-फेरी किया जाना,

(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील में भू- माफिया के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किया जाना,

(5) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मण्डला-रायपुर सड़क मार्ग स्थित बिछिया में बायपास का निर्माण न किया जाना,

(6) श्री विपिन जैन, सदस्य की मंदसौर शहर के व्यस्ततम बाजार कालाखेत व उससे लगे क्षेत्र में साठिया समाज के परिवारों द्वारा अतिक्रमण कर कब्जे किया जाना,

(7) श्री महेश परमार, सदस्य की शासकीय हाईस्कूल देवनखेड़ी को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जाना,

(8) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य की जिला भिण्ड द्वारा ग्राम दतावली में तालाब गहरीकरण एवं मरघट बनाने की अनुशंसा के बाद भी कार्यवाही नहीं किया जाना,

(9) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य की प्रदेश में मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा किया जाना तथा

(10) श्री भैरो सिंह बापू, सदस्य की सुसनेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गॉवों को कुंडालिया परियोजना में सम्मिलित किये जाने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

## 11. फरवरी, 2024 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-1 पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी, 2024 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-1 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

## 12. नियम 267-क के अधीन फरवरी, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन फरवरी, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

## 13. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 7 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है यह विधेयक अधिनियम क्रमांक 1,2,3,4,5,6 एवं 7 सन् 2024 के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किये गये हैं. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जाएंगे :-

(1) मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024)
(2) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024)
(3) मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024)
(4) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024)
(5) मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024)
(6) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024)
(7) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024)

## 14. ध्यानाकर्षण.

(1) **श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की अनुपस्थितिवश** इंदौर-बुधनी रेल लाईन हेतु अधिग्रहित भूमि का कम मुआवजा दिये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्तुत नहीं हो सका.

(2) **श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य ने** मुरैना शहर के आवासीय क्षेत्र में मकानों के ऊपर विद्युत हाईटेंशन लाईन डाले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चर्चा का उत्तर दिया.

**{ सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.}**

## 15. अध्यक्षीय घोषणा
## सदन के समय में वृद्धि विषयक.

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में उल्लेखित कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई.

## 16. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

सभापति महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 127-परासिया (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री सोहनलाल बाल्मीक को विधान सभा के जुलाई, 2024 सत्र में दिनांक 1 जुलाई से 10 जुलाई, 2024 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

## 17. अध्यक्षीय घोषणा
## (i) विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

सभापति महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 123-अमरवाड़ा (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री कमलेश प्रताप शाह एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 156-बुधनी से निर्वाचित सदस्य, श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विधान सभा के अपने-अपने स्थानों से त्याग-पत्र दिए जाने संबंधी घोषणा की गई.

## (ii) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन.

श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर होने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन द्वारा स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् सभापति महोदय द्वारा तत्संबंधी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई.

अपराह्न 1.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 11 शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**अवधेश प्रताप सिंह,**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपाल :**
**दिनांक : 1 जुलाई, 2024**